न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/140/2016

उनवान

1. श्रीमती नन्दू पत्नी स्व0 जगन्नाथ जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. पीरूपुत्र स्व0 जगन्नाथ जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. मु0 लाला उर्फ लीला पुत्री जगन्नाथ जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण पिता छोगा जाट निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 17/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री पुनीत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री आर सी चेचाणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 25.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मिण्डोलिया पटवार हल्का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की संवत 2068 से 2071 की जमाबंदी की खेवट संख्या 304 नई व 303 पुरानी में कुल किता 30 रकबा 8.41 है0 है, वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के आधे–आधे हिस्से अनुसार दर्ज है। इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा अलग–अलग आधे–आधे हिस्से अनुसार दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री जगन्नाथजी के जीवनकाल में ही पक्षकारान के बीच आपसी सहमति व रजामंदी से आराजियात का विभाजन आज से करीब 40 वर्ष पूर्व हो चुका था। उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। वादी के कब्जे में आराजी नम्बर 733, 465, 663, 662, 664, 665, 669, 670, 200, 228, 227, 224, 223, 214 कुल किता 14 कुल रकबा 4.19 है0 एवं प्रतिवादी के कब्जे में आराजी नम्बर 733, 675, 731, 732, 427, 666, 667, 668, 199, 215, 213, 212, 211, 219, 220, 218 कुल किता 16 कुल रकबा 4.18 है0 भूमि है। आराजी नम्बर 222 रकबा 0.04 हे0 गैर मुमकिन आता चाह दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त रूप से रहेगी। प्रतिवादीगण नम्बर 3 मु0 लीला का नाम जमाबंदी में मु0 लाला लिखा हुआ है जो गलत है उसका सही नाम मु0 लीला होने से लीला के नाम से पक्षकार बनाई जा रही है। प्रतिवादी नम्बर 4 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है।

2. वादी व श्री जगन्नाथ के बीच आपसी सहमति व रजामंदी से विभाजन करीब 40 वर्ष पूर्व होने के कारण वादी के हिस्से में आई आराजी नम्बर 663 में एक कुए का निर्माण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति व रजामंदी से कराया, जिसके नम्बर सेटलमेण्ट के बाद 664 रकबा 0.01 है0 बने। उक्त कुए के निर्माण में लगने वाला सभी खर्चा वादी अकेले ने किया व वादी के कुए का निर्माण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की जानकारी में करीब 40 वर्षों पूर्व हुआ । उक्त कुए का उपयोग उपभोग भी वादी अकेला ही अपने हिस्से में आई आराजियात की पिलाई हेतु कर रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 ने कभी भी उक्त कुए का उपयोग अपनी आराजियात की पिलाई के लिए नहीं किया है। इस कारण वादी चाह नम्बर 664 रकबा 0.01 है0 अपने हिस्से में दर्ज कराने हेतु यह वाद पत्र पेश कर रहा है। पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजियात संयुक्त दर्ज होने से वादी को अपने हिस्से में आपसी सहमति व रजामंदी से आई आराजियात में लागत लगाकर विकास करने में कठिनाई आ रही है। इस कारण संयुक्त आराजियात का पैरा नम्बर 2 में वर्णित कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को संयुक्त आराजियात के विभाजन हेतु दिनांक 20.12.2014 को करने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने मना कर दिया । अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध वादग्रस्त आराजियात की बंटवाडा की डिक्री पारित की जावे। उक्त विभाजन पक्षकारान के कब्जे अनुसार आराजियात का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कराया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 15.3.2016 को स्वीकार कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.5.2016 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बिना साक्ष्य का विवेचन किये व साक्ष्य तथा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिसमें अपीलार्थीगण के उपस्थिति हेतु दिनांक 27.4.2015 की तारीख पेशी नियत की गई। जिसकी पालना मे अपीलार्थीगण उक्त तारीख को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो वहॉ पर अपीलार्थीगण को जानकारी दी गई कि उक्त पत्रावली पर आज कोई कार्यवाही व सुनवाई नहीं होगी क्योंकि राजस्व लोक अभियान प्रारंभ हो जाने से प्रकरण में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत सुनवाई होगी। जिसके सूचना पत्र अलग से जारी कर अपीलार्थीगण को सूचित कर दिया जायेगा। इस प्रकार उक्त तारीख पेशी पर न तो अपीलार्थीगण को पत्रावली का अवलोकन करवाया गया और न ही अपीलार्थीगण की उपस्थिति दर्ज की गई और न ही कोई आगामी तारीख पेशी के संबंध में अपीलार्थीगण को अवगत कराया गया । इसके उपरान्त अपीलार्थीगण को लोक अदालत कैम्प के नोटिस प्राप्त हुए जिसमें उपस्थिति की तारीख दिनांक 18.6.2015 की नियत की गई। उक्त तारीख पर अपीलार्थीगण लोक अदालत कैम्प में उपस्थित हुए तब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की उपस्थिति दर्ज किये बिना, बिना पत्रावली दिखाये और बिना कोई तारीख पेशी बताये अपीलार्थीगण को लौटा दिया इ। इसके उपरान्त अपीलार्थीगण को प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाल ही मे वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा आकर अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में दखलन्दाजी करी व बेदखल करने का प्रयास किया तथा एकतरफा रूप से पारित डिक्री के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बारे में जानकारी दी तब अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नकल हेतु आवेदन दिनांक 27.5.2016 को किया गया जो नकल अपीलार्थीगण को दिनांक 31.5.2016 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.2.2016 की आदेशिका द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित करते हुए बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये हुए दिनांक 24.5.2016 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी । जिसमें अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से विधि में पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात का विभाजन आज से करीब 40 वर्ष पूर्व होने व उक्त विभाजन अनुसार उस समय से ही अपीलार्थीगण व वादी का मौके पर काबिज होकर उपयोग करने का तथ्य प्रकट किया है और दूसरी तरफ उक्त वाद पत्र के माध्यम से वादग्रस्त कृषि आराजियात के विभाजन की दाद चाही है। इस प्रकार जब वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार पूर्व में ही यदि कृषि आराजियात का विभाजन हो चुका था तो उक्त कृषि आराजियात का दुबारा विभाजन नहीं हो सकता है। जब वादी के अनुसार पूर्व में विभाजन हो चुका था तो फिर वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना शेष नहीं रहता है और न ही विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का अनुतोष दिया जा सकता है। उक्त तथ्य व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थिति रिकार्ड पर होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य निर्ण व डिक्री दिनांक 24.5.2016 के माध्यम से वादग्रस्त कृषि आराजियात का विभाजन होने बाबत डिक्री पारित की है जो विधि में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वादग्रस्त आराजियात का 40 वर्ष पूर्व विभाजन व उस समय से ही विभाजन अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करने का तथ्य वाद में अंकित किया था जबकि अनुतोष खण्ड में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर चाहा है जा विरोधाभाषी कथन है। इस प्रकार के विरोधाभाषी कथनों के आधार पर किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त विधिक स्थिति व तथ्य रेकार्ड पर होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.3.2016 की अनुपालना में संबंधित राजस्व कर्मचारियो द्वारा जो मौका पर्चा व बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 23.5.2016 को तैयार किया गया वह भी पूर्ण रूप से गलत तौर पर तैयार किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलार्थीगण को न तो कोई सूचना दी गई और न ही अपीलार्थीगण की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया । बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने मन मर्जी अनुसार बिना मौके की वास्तविक स्थिति को देखे केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी को लाभ पहूँचाने की गरज से गलत तौर पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कराया है जो अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने मौके पर वास्तविक कब्जेकाश्त को नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्शाया है और न ही वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौके पर गये वादी के कहे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विधि में पोषणीय नहीं है वैसे भी कानन बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय प्रकरण के सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपस्थित होना व सहमत होना अतिआवश्यक है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव न तो अपीलार्थीगण की उपस्थिति मे तैयार किया गया है और न ही उक्त बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध में अपीलार्थीगण की कोई सहमति प्राप्त की गई तथा वादी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गल तौर पर प्रतिवादी के उपस्थित होने के हस्ताक्षर करने से मना कर संबंधी तथ्य अंकित करा दिया जिसकी ताईद में किन्ही स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी बंटवाडा प्रस्ताव में नहीं कराये गये। इसके अतिरिक्त बंटवाडा प्रस्ताव के तहत वाद पत्र कृषि आराजियात का जो विभाजन किया गया है वह भी मौके के कब्जे अनुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार तैयार किया गया बंटवाडा प्रस्ताव आरंभ से ही शून्य अवैध एवं निष्प्रभावी है ऐसे बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2016 विधि में पोषणीय नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र की कलम संख्या 3 में कृषि आराजी चाह नम्बर 664 के संबंध में गलत तौर पर यह तथ्य अंकित कराया कि उक्त कुए का निर्माण वादी अकेले द्वारा किया गया व वादी द्वारा अकेले उसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है। जो सरासर गलत है। वादी द्वारा उक्त कुए के संबंध में जो तथ्य वाद पत्र में प्रकट किये है उसके संबंध में वादी द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है और न ही स्वयं को साक्ष्य में परिक्षीत कराया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा केवल मात्र वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में कथन अंकित कर देने मात्र से ऐसे तथ्यों को साबित, प्रमाणित एवं विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसे अप्रमाणित तथ्यों के आधार पर डिक्री पारित की जा सकती है। वादी द्वारा जो तथ्य उक्त आता चाह नम्बर 664 रकबा 0.01 है0 के संबंध में प्रकट किये हैं वह भी वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते हैं। उक्त आराजी चाह में कुए का निर्माण अपीलार्थीगण के पूर्वज जगन्नाथ व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी द्वारा शामलाती रूप से किया गया है तथा अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी शामलाती रूप से उक्त कुए के माध्यम से सिंचाई करते चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में बिना कोई साक्ष्य लिये और बिना मौके की जांच कराये उक्त आराजी चाह को केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की डिक्री पारित कर दी है। जो विधि में पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण जन्म से ही उक्त कुए से सिंचाई करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कुए को राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी के नाम पर दर्ज करने की डिक्री पारित कर देने से अपीलार्थीगण की नजदीकी कृषि आराजियात में सिंचाई करने की विकराल व गंम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण उक्त कुए को भी अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के मध्य शामलाती दर्ज किया जाना आवश्यक एवं विधि अनुकूल होते हुए व आराजी चाह सदैव शामलाती हो बंटवाडा नहीं होता है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्वयं वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में कृषि आराजी नम्बर 733 में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी 1/2, 1/2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसे स्वयं वादी द्वारा भी अपने वााद पत्र में स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजी संख्या 733 रकबा 0.66 है0 को अपने आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.5.2016 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट है क राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 23.5.2016 बनाया गया है वह बिना मौके की वास्तविक स्थिति को देखे बिना व मौके पर गये रेस्पोडेण्ट व राजस्व कर्मचारियों ने आपस में मिली भगत कर घर पर बैठकर बनाया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव डिकी को निरस्त की जावे।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नोटिस की विधिवत तामील कराई गई है। तामील होने के बावजूद प्रतिवादीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। लोक अदालत में प्रकरण को रखे जाने का सूचना पत्र भी अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण की भी व्यक्तिशः तामील कराई गई है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए जिस पर बाद सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण दिनांक 16.1.2015 को दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.1.2015 को जारी किया गया है। उक्त नोटिस व्यक्तिशः मु0 नन्दु , पीरू लाल एवं मु0 लीला को तामील हुए है। उक्त सम्मन में तारीख पेशी दिनांक 27.4.2015 अंकित की हुई है परन्तु न्यायालय में दिनांक 27.4.2015 को पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है।

13. जहॉ तक लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने बाबत जो नोटिस जारी किये गये हैं उक्त नोटिस की भी प्रतिवादीगण को व्यक्तिशः तामील हुई है परन्तु उक्त नोटिस पर दिनांक 13.5.2015 को जारी किये गये हैं जिसमें लोक अदालत हेतु पेशी दिनांक 18.6.2015 नियत की गई है। नियत दिनांक 18.6.2015 भी पत्रावली पर कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। जबकि आदेशिका दिनांक 9.2.2016 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.3.2016 को पारित की गई है। जिसमें अभिभाषक वादी की उपस्थिति दर्ज अंकित करते हुए वादी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी जाना अंकित किया गया है।

14. अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादीगण को जो नोटिस जारी किये गये हैं उसमें जो तारीख प्रतिवादीगण को न्यायालय मे उपस्थित रहने हेतु नियत की गई है उस तारीख को प्रकरण में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रकरण में चल रही कार्यवाही की जानकारी नही होना सद्भाविक प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनाक 9.2.2016 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। मूल वाद में चूंकि उभयपक्ष के हक हितों का निस्तारण उभयपक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की पालना में सुनने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाना स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है।

15. दिनांक 15.3.2016 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर राजस्व लोक अदालत कैम्प मे प्रस्तुत किया गया है। जिस पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.5.2016 को पारित की गई है। दिनांक 24.5.2016 की आदेशिका पर मात्र वादी की उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर हैं।

16. दिनांक 23.5.2016 को जो पर्चा मौका बनाया गया है उसमें उभयपक्ष की उपस्थिति दर्शायी गई है एवं पर्चा मौका पर वादी के हस्ताक्षर है एवं प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किये जाने का तथ्य अंकित किया है। जबकि मौका पर्चा बनाये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत पत्रावली पर कोई सूचना पत्र उपलब्ध नहीं है। बंटवाडा प्रस्ताव व बंटवाडा नक्शा ट्रेश पर तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं है, तथा तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव में वादी के हक में कुल रकबा 4.08 है0 एवं प्रतिवादीगण के हक में भी 4.08 है0 भूमि का विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। आता चाह नम्बर 664 रकबा 0.01 गैर मुमकिन खड्डा जिसे अकेले वादी के हिस्से में रखा गया है। एंव आता चाह नम्बर 222 रका 0.04है0 एवं आराजी नम्बर 732/2 रकबा 0.20 है0 किस्म गैर मुमकिन पाल का बंटवाडा 1/2, 1/2 हक हिस्से से समान रूप से उभयपक्ष के मध्य किया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. आराजियात खसरा नम्बर 664 व 733 के बंटवाडे को लेकर अपीलाण्ट द्वारा मुख्य उजर प्रस्तुत किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव में आता चाह नम्बर 664 रकबा 0.01है एवं आराजी नम्बर 733 रकबा 0.66 है को अकेले वादी के हिस्से में रखा गया है। उक्त आता चाह नम्बर 664 बाबत वादी का निवेदन है कि उक्त चाह का निर्माण उनके द्वारा किया गया है जबकि प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट्स का कथन है कि उक्त आता चाह शामलाती होकर उसका शामलाती में उपयोग उपभोग करते हुए सिंचाई कर रहे हैं। प्रतिवादी के कथन के क्रम में बंटवाडा नक्शा ट्रेश का अवलोकन किया गया । राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 21 अनुसार तहसीलदार द्वारा खेतों के बंटवाडे व नक्शा तैयार करने बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं । नक्शा ट्रेश में बंटवाडा किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है। उभयपक्ष का दिये गये खेतों को अलग रंग से नहीं दर्शाया गया है , तथा तहसीलदार की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

18. प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर पेरा नम्बर 1 में यह अंकित किया है कि " ग्राम मिण्डोलिया पटवार हल्का मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की संवत 2068 से 2071 की जमाबंदी खेवट संख्या 304 नई व पुरानी 303 में कुल किता 30 रकबा 8.41 है0 वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के आधे आधे हिस्से अनुसार दर्ज है एवं इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा अलग–अलग आधे–आधे हिस्से अनुसार है। " उक्त समझौता आपसी सहमति से 40 वर्ष पूर्व होना भी अंकित किया गया है। कौन–कौनसी आराजी का कितना कितना भाग किस–किस पक्षकार के कब्जे में है उस कॉलम में आराजी नम्बर 733 कुल रकबा 0.66 है0 दर्शाया गया है जिसमें से 0.56 है0 भूमि वादी के कब्जे में एवं शेष 0.10 है0 भूमि पर कब्जा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण का अंकित किया गया है। वादी ने वाद पत्र में दर्शाई सूचि अनुसार शामलाती भूमि पर शामलाती कब्जा होने का कथन अंकित किया है । इसके विपरीत बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। मूल वाद में चूंकि पक्षकारों के हक हितों का बाद साक्ष्य, सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने क समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण मे अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया है।

19. न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2017 (2) पेज 1104 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में अपीलाधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 15.3.2016 तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.5.2016 निरस्त की जाती है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24/7/19 को उपस्थित रहे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

21. निर्णय आज दिनांक 25.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा